STATEMENT SHOWING RAILWAY ACT CASES FOR THE MONTH OF FEB-2012.

Sections	No. of Cases	Fine realized
137	214	115315
138	3088	1114797
139	0	0
141	290	114947
142	0	0
143	4	0
144	991	424535
145	293	40760
146	6	3400
147	1366	153778
153	0	0
154	12	54100
155	573	62578
156	305	22202
157	0	0
159	429	47300
160	11	5000
161	1	0
162	1136	71100
163	0	0
164	1	1000
165	0	0
166	0	0
167	40	2600
172	0	0
173	0	0
174	13	21500
175	0	0
176	0	0
180th	0	0
Total	**8,773**	**22,54,912**

Statement showing RP(UP) Act cases for the month of Feb-2012

Year	No. of Cases detected	Value of Property Recovered	Arrest		
			OS	RE	RPF
Feb-2012	29	83332	66	03	00

Statement showing Theft of Railway Property Cases for the month of Feb-2012

Year	No. of Cases		Value of Property		Arrest		
	Regd.	Detd.	Stolen	Recovery	OS	RE	RPF
Feb-2012	38	29	88412	83332	66	03	00

Statement showing Theft of Railway Material Cases for the month of Feb-2012

Year	No. of Cases		Value of Property		Arrest		
	Regd.	Detd.	Stolen	Recovery	OS	RE	RPF
Feb-2012	35	27	63130	58450	57	03	00

Statement showing Theft of Booked Consignment Cases for the month of Feb-2012

Year	No. of Cases		Value of Property		Arrest		
	Regd.	Detd.	Stolen	Recovery	OS	RE	RPF
Feb-2012	03	02	25282	24882	09	00	00

js-lq-c- }kjk ekg Qjojh&2012 ds nkSjku fd;s x;s vPNs dk;ksZ dk C;kSjk

i. जबलपुर मंडल में दिनांक 05.02.2012 को आरक्षण कार्यालय जबलपुर में निगरानी के दौरान प्रधान आरक्षक/जबलपुर पोस्ट श्री महेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा 01 बाहरी व्यक्ति को संदिग्धावस्था में आरक्षित टिकटों व खाली आरक्षण फार्म के साथ पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहम्मद शफीक वल्द मोहम्मद सिद्धीकी उम्र 28 साल निवासी– न्यू आनन्द नगर, बजरंग चौराहा थाना–अधारताल, जबलपुर बताया। बाद पकड़े गये व्यक्ति को अग्रिम कार्यवाही हेतु तहरीर के साथ उपनिरीक्षक/जबलपुर पोस्ट श्री शिशिर कुमार के समक्ष पेश किया गया। मामला रेल टिकटों के अवैध व्यापार का पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध आरपीएफ पोस्ट/जबलपुर में मामला अपराध क्रमांक 1682/12 धारा 143 रेल अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। दिनांक 06.02.12 को आरोपी को माननीय विशिष्ट रेल दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) जबलपुर की अदालत में पेश किया गया जहां से आरोपी को दिनांक 10.02.12 तक आरपीएफ अभिरक्षा में भेजा गया।

ii. जबलपुर मंडल में, दिनांक 15.02.12 को गाड़ी क्रमांक 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस में कार्यरत प्रधान आरक्षक इंद्रकुमार सिंह, राजललन त्रिपाठी व दीपक तिवारी तैनाती आरपीएफ चौकी पिपरिया को स्कोर्टिंग के दौरान स्लीपर कोच नंबर एस–8 को चैक करते समय बर्थ नं. 67,68 पर एक काले रंग का लेडीज पर्स लावारिस हालत में मिला। कोच के यात्रियों से पूछताछ करने पर उक्त पर्स के बारे में किसी भी यात्री द्वारा जानकारी नहीं दी जा सकी। समक्ष गवाहान पर्स को चैक करने पर उसमें 02 नग सोने के कड़े, एक नग सोने का मंगलसूत्र, एक नग सोने के मंगलसूत्र का लॉकेट, एक जोड़ी सोने के कान के टाप्स, चांदी की पायल, चांदी की बिछिया, एक जोड़ी सोने के टाप्स छोटे व 70/–रू. नगद मिले। बाद उक्त सभी सामान अग्रिम कार्यवाही हेतु आरपीएफ चौकी/पिपरिया में जमा कराया गया। दिनांक 15.02.12 को एक व्यक्ति अनुपम कौशिक वल्द दिलीप कौशिक उम्र 27 साल निवासी–सी–56 यदुनंदन नगर तिफरा बिलासपुर, छत्तीसगढ़ बताया साथ ही दिनांक 14.02.12 को गाड़ी क्रमांक 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस के कोच नंबर 67,69,70 पर टिकिट नं. 45409198 पर बिलासपुर से जबलपुर तक की यात्रा के दौरान जल्दबाजी में अपनी मां का लेडिज पर्स गाड़ी में ही छूट जाना बताया। यात्री की अच्छी तरह से तस्दीक करने के उपरांत समक्ष गवाहान उपरोक्त लेडीज पर्स सभी सामानों के साथ सही हालत में श्री अनुपम कौशिक को सौंपा गया। यात्री द्वारा सामान की अनुमानित कीमत 2,00,000/– रू. आंकी गई है। बल सदस्यों के अच्छे कार्य को देखते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा 1500/– रू. का सामूहिक पुरूस्कार स्वीकृत किया गया है।

iii. जबलपुर मंडल में, दिनांक 19.02.12 को गाड़ी संख्या 18508 के सागर आगमन पर स्टेशन प्रबंधक, वरि.खंड अभियंता/एसएंडडब्ल्यू, सीसीआई/सागर तथा उपनिरीक्षक/आरपीएफ/सागर श्री एस.के. उपाध्याय द्वारा चैक करने पर फ्रंट एसएलआर नं. ईसीओ–05708 के द्वितीय भाग में जो लीज पर था ओवर लोडिंग पाया गया। वजन कराने पर एसएलआर में लोड माल का वजन 71.500 क्विंटल पाया गया जबकि एक एसएलआर में 40.00 क्विटल माल ही लादा जाना चाहिये। इस प्रकार उक्त एसएलआर में 31.500 क्विंटल माल ओवर लोड करके लादा जाना पाया गया। अतः अधिक लोड किये गये माल को एसएलआर से उतारकर पार्सल कार्यालय में रखवाया गया। बाद दिनांक 20.02. 2012 को लीज पार्टी श्री साईनाथ कार्गो द्वारा ओवर लोड 31.500 क्विंटल माल का अतिरिक्त प्रभार रसीद क्रमांक बी–041127 के तहत 01,32,753/– रू. अदा करने पर माल को सही हालत में पार्टी को सौंपा गया।

iv. जबलपुर मंडल में, दिनांक 10.02.12 से 11.02.12 तक पोदानुर में (सिलम मंडल/दक्षिण रेलवे) आयोजित हुई इंटर रेल्वे डाग स्क्वाड प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल में एक सप्ताह का गहन प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत जबलपुर मंडल से श्वान टाइगर और भोपाल मंडल से श्वान मार्शल को पूर्ण तैयारी के साथ दिनांक 08.02.12 को जबलपुर से रवाना किया गया था। दिनांक 10.02.12 से 11.02.12 तक पोदानुर में (सिलम मंडल/दक्षिण रेलवे) आयोजित की गई प्रतियोगिता में भोपाल मंडल के श्वान मार्शल को एक्सप्लोसिव ट्रेड टेस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अतः उक्त श्वान को टीम मेनेजर श्री रामचंद्र यादव/स.उ.नि. श्वान दस्ता/जबलपुर, श्री अशोक कुमार, स.उ.नि./श्वान दस्ता, भोपाल तथा आरक्षक/श्वान दस्ता, इटारसी श्री जुगराज को दिनांक 18.02.12 से 25.02.12 तक नासिक, महाराष्ट्र में होने वाली 55वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्युटी मीट-2011 में भाग लेने के लिए नासिक, महाराष्ट्र भेजा गया। इस प्रतियोगिता में भी भोपाल मंडल के श्वान मार्शल को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। इस प्रकार पश्चिम मध्य रेल के श्वान दस्ते द्वारा शानदार उपलब्धि हासिल कर प.म.रे. को गौरवान्वित किया गया।

v. भोपाल मंडल में, दिनांक 07.02.12 को हबीबगंज रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर पर एक बालिका तीन दिनो से रह रही थी जिससे पूछताछ किया तो उसने अपना नाम पूजा उम्र 08 साल बताते हुये पिता का नाम मुन्ना यादव निवासी मोदी के घर के पीछे पुरानी बस्ती वार्ड नंबर 12 छिंदवाडा(म.प्र.) बताया बालिका को संरक्षण हेतु बचपन संस्था की कार्यकर्ता श्रीमति जमुना कारकले शहर समन्वयक भोपाल के संरक्षण हेतु सुपुर्द किया गया है।

vi. भोपाल मंडल में, दिनांक 04.02.12 को गाडी संख्या 11272 अप में हुई जहरखुरानी की घटना के परिप्रेक्ष्य जहरखुरानी में संलिप्त संदिग्धों की गुप्त निगरानी एवं धरपकड़ करने हेतु मण्डल स्तर पर एक संयुक्त टीम गठित की गई थी, जिसमें निरीक्षक यात्री सुरक्षा भोपाल श्री एम. के. सिसोदिया, सउनि आउट पोस्ट विदिशा राजपाल सिंह, आरक्षक रतन लाल भोपाल पोस्ट को सम्मलित किया गया था। उक्त टीम द्वारा दिनांक 08.02.12 को घटना के संबंध में भोपाल स्टेशन में लगे सीसीटीव्ही कैमरा की रिकार्डिंग क्लिप का अवलोकन किया गया। दिनांक 09.02.12 को जीआरपी थाना प्रभारी के साथ संयुक्त बैठक कर मामले में संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु संयुक्त रूप से सतत् निगरानी किए जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की गई। संयुक्त निगरानी के दौरान अधिकृत वैंडरों के साथ समन्वयन कर संदिग्ध व्यक्ति के पोट्रेट दिखाऐ गये। संयुक्त चेकिंग, सुरागरसी व निगरानी के दौरान दिनांक 14.02.12 को जीआरपी भोपाल निरीक्षक श्री के.एस.दाण्डे व जीआरपी स्टाफ के साथ उक्त रेसुब टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर समय करीबन 22.20 बजे भोपाल स्टेशन बीना छोर की तरफ केबिन के पास झाड़ियो से 04 बाहरी व्यक्तियों को चोरी करने की योजना बनाते पकड़ा गया। जीआरपी भोपाल द्वारा उक्त पकड़े गये चारो आरोपियो की गिरफ्तारी निरीक्षक जीआरपी भोपाल के.एस.दाण्डे द्वारा अपराध क्रमांक 65/2012 धारा 401 आईपीसी के तहत की गयी है। तथा आरोपी क्रमांक 01 बल्लू उर्फ माजिद पुत्र हामिद उम्र 25 साल निवासी जालौन की गिरफतारी उक्त अपराध के अलावा अपराध क्रमांक 5/2012 धारा 41(1-4) सीआरपीसी 379 आईपीसी के तहत दिनांक 14.02.12 को की गयी है। मामले की विवेचना निरीक्षक जीआरपी भोपाल के.एस.दाण्डे द्वारा की जा रही है। जहरखुरानी की घटना के परिप्रेक्ष्य उक्त टीम द्वारा भोपाल स्टेशन पर लगातार निगरानी की जा रही है।

vii. भोपाल मंडल में, दिनांक 26.02.12 को गाडी संख्या 12156 मे रेसुबल हबीबगंज से अनुरक्षण दल मे तैनात प्रधान आरक्षक विधासागर शर्मा प्रधान आरक्षक ललित कुमार, प्रधान आरक्षक जर्नादन यादव तथा आरक्षक राजेश कुमार सिह गाडी के बीना स्टेशन छूटने के बाद यात्री शिवम सिह पुत्र शत्रुधन सिह उम्र 19 साल निवासी एफ-27 आकृति इको सिटी भोपाल जिनका टिकिट नंबर

41879674 तथा पीएनआर नंबर 2800166066 जो निजामुददीन से हबीबगंज तक की यात्रा कर रहे थे उक्त यात्री द्वारा बताया कि उसका ट्राली बेग कोच एस–3 बर्थ नबर 72 के नीचे से किसी ने चोरी कर लिया है उक्त यात्री द्वारा बताया उसकी बर्थ के नीचे एक व्यक्ति सोया हुआ था शायद उसी ने ट्राली बेग चुराया होगा यात्री द्वारा उसका हुलिया बताया गया उसके बाद तत्काल रेसुबल अनुरक्षण दल द्वारा उक्त यात्री को साथ लेकर पूरे कोचो को चैक किये तो जनरल कोच क्रमांक ॅब्. 10702 मे उक्त व्यक्ति बैठा हुआ मिला जिसे यात्री द्वारा पहचाना तथा उसके पास चुराया हुआ ट्राली बेग भी मिला उससे पूछताछ किया तो उसने अपना नाम विकास ताम्रकार पुत्र प्रकाशचंद्र ताम्रकार उम्र 40 साल वार्ड नंबर 15 गुरुद्वारा रोड बाल बिहार के सामने विदिशा बताया तथा ट्राली बेग जिसके अंदर पहने के कपडे, किताबे कीमत लगभग 2000 रुपये चुराना स्वीकार किया। जिसे बाद मे पकड़कर कर जीआरपी हबीबगंज को मय माल मुलजिम फरियादी के साथ सुपुर्द किया गया जिस पर जीआरपी हबीबगंज द्वारा अपराध क्रमांक 05/12 धारा 379 आईपीसी के तहत मामला कायम कर घटनाक्षेत्र के आधार पर जीआरपी बीना को अग्रिम काय्रवाही हेतु मय माल मुल्जिम के स्थानांतरण पर भेजा गया।

-----*****-----